बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–06–11/2024(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–..

सिविल सर्जन, बांका के पत्रांक–189 दिनांक–20.01.2023 द्वारा डॉ० गोपाल शरण सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, बांका के विरूद्ध दिनांक–19.04.2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं०–1615(9) दिनांक–06.11.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा डॉ० सिंह के विरूद्ध गठित आरोप को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया।

3. विभागीय पत्रांक–350(9) दिनांक–04.05.2024 द्वारा सिविल सर्जन, बांका से डॉ० सिंह के दिनांक–19.04.2021 से 29.08.2022 तक की कार्य से संबंधित प्रतिवेदन एवं वेतन भुगतान करने के संबंध में प्रतिवेदन की माँग की गयी। जिसके आलोक में उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, बांका के पत्रांक–227 दिनांक–26.03.2025 द्वारा प्रतिवेदित है कि डॉ० सिंह द्वारा दिनांक–19.04.2021 से 30.08.2022 तक आवंटित कार्यो के अनुपालन में बाह्य एवं आकस्मिक कक्ष में कार्य का निष्पादन किया गया है। डॉ0 सिंह को उक्त अवधि के मासिक वेतन (माह मई 2021 एवं जून 2021 को छोड़ कर) का भुगतान नियमित तौर पर किया गया है।

4. डॉ० सिंह कथित रूप से वैश्विक महामारी के समय दिनांक–19.04.2021 से 30.05.2021 तक कोरोना संक्रमित होने के कारण कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहे। डॉ0 सिंह को मई एवं जून 2021 का वेतन कोविड महामारी के समय का सिविल सर्जन, बांका के आदेश सं०–514 दिनांक–20.02.2023 द्वारा उनके अनुपस्थित अवधि को कार्य अवधि मानते हुए वेतनादि एवं प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया।

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन (अधिगम) से सहमत होते हुए एवं उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, बांका के पत्रांक–227 दिनांक–26.03.2025 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में डॉ० गोपाल शरण सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, बांका सम्प्रति सहायक प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर के विरूद्ध दिनांक–19.04.2021 से 30.08.022 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप से मुक्त करने का विनिश्चय किया गया।

6. अतएव डॉ० गोपाल शरण सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, बांका सम्प्रति सहायक प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को दिनांक–19.04.2021 से 30.08.022 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप से मुक्त किया जाता है।

7. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–06–11/2024(स्वा0) 592(9) **/पटना, दिनांकः–**03.06.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, बांका/भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, बांका/भागलपुर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/06/2025

15

प्रतिलिपिः—प्राचार्य/अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/सिविल सर्जन, बांका/भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—डॉ० गोपाल शरण सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, बांका सम्प्रति सहायक प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

03/06/2025

सरकार के अवर सचिव।